संख्या-25/2026/I/1425000/2026/001-77-3002-003-8-2023

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पिकप भवन,
गोमती नगर लखनऊ।

अवस्थापना विकास अनुभाग लखनऊ : दिनांक 07.08.2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु धनराशि की मांग।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 869/यूपीडा/बुन्देलखण्ड/बजट/2026 दिनांक 20.07.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु रू0 7500.00 लाख (रुपये पछत्तर करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 स0	परियोजना का नाम	स्वीकृत/ मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	टेण्डर के उपरान्त बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त परियोजना की लागत	ऋण की धनराशि	राज्य सरकार द्वारा बजट से वहन की जाने वाली धनराशि	बजट से अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि	2026-27 में आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	बुन्देलखण्ड एक् सप्रेसवे परियोजना	14,84,909.00	-	1,13,129	13,71,780	6,64,000	707,780	696,732	11048	7500

(1) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आहरित की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य मदों पर और स्वीकृत लागत सीमा में ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार,उ0प्र0 प्रयागराज , कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए।

(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों मं उल्लिखित शर्तों के अनुसार , बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों , स्थायी आदेशों आदि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
(6) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।
(7) उक्त परियोजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
(8) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,00,00,000 (रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370600 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, अवस्थापना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
9. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in